

# दी कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

सी- 29, कम्यूनिटी सैन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी नई दिल्ली- 110058

## NOTICE

As per Bye-Laws 46(4) if dividend declared is not claimed within 3 years it is transferred to reserve fund. All members are therefore advised to claim the due dividend at the earliest but positively by 30-04-2026. If it is not claimed then dividend declared upto year 2022 will be transferred to reserve fund.

Board of Directors

## सूचना

बैंक के बाईलाज 46(4) के अनुसार यदि कोई सदस्य DIVIDEND DECLARE होने के बाद तीन वर्ष तक उसे CLAIM नहीं करता है तो उस राशि को बैंक के रिजर्व फण्ड में डाल दिया जायेगा और फिर सदस्य को नहीं मिलेगा।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि डिविडैण्ड की राशि को 30 अप्रैल 2026 तक ले लें अन्यथा वर्ष 2022 तक DECLARED DIVIDEND की राशि को रिजर्व फण्ड में डाल दिया जायेगा।

निदेशक मण्डल